आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)
केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद 04/09-10 / 01/2013

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम–पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{04/09-10}{01/2013}$ श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया, जिला–खगड़िया ने अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 150 दिनांक 28.03.2009 से विछुब्ध होकर दाखिल किया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से अनुज्ञप्तिधारी की दूकान की जांच करायी गयी। तथा बिना कारण पृच्छा प्राप्त किये दूकान को निलंबित कर दिया गया और पुनः सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से दूकान की जांच करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया जिसका जबाव उन्हें दिया गया तथा उनके जवाब पर सम्यक विचार नहीं की गयी तथा उनके जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या 43 के/2007 को दिनांक 28.03.09 को रद्द कर दिया गया जो बिल्कूल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में कहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जलकौड़ा पंचायत का माह जुलाई 2008 तक कूपन वितरण नहीं किया गया था इसलिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के मौखिक निदेश से किरासन तेल का वितरण उपभोक्तओं के बीच सूची के आधार पर किया गया। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश विधि मान्य नहीं है। उन्होंने अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 28.03.09 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हुए तथा अपना तर्क प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।	

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। परंतु उनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें कोई अभिरूचित नहीं है एवं उन्हें इस वाद में कोई तर्क और तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :–

जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता सावित्री देवी के विरूद्ध ग्राम पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड–खगड़िया के उपभोक्ताओं द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान्न ज0वि0प्र0 बिकेता द्वारा नहीं वितरण करने की शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय जॉच की गयी। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 494/अनु0आ0, दिनांक 25.09.2008 के द्वारा सावित्री देवी ज0वि0प्र0 बिकेता ग्राम पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया के अनुज्ञप्ति संख्या 43 के/2007 को निलंबित कर दिया गया। पुनः उपभोक्ताओं के शिकायत पत्र के आलोक में सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा स्थलीय जॉच की गयी । उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 72/अनु0आ0, दिनांक 17.02.2009 के द्वारा सावित्री देवी ज0वि0प्र0 बिकेता जलकोड़ा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिकेता से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि सावित्री देवी ज0वि0प्र0बिकेता जलकौड़ा द्वारा माह जुलाई, 08 में किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सावित्री देवी ज0वि0प्र0 बिकेता द्वारा बरती गयी अनियमितता के लिए अनुज्ञप्ति सं0 43 के/2007 को अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 150/अनु0आ0 दिनांक 28.03.2009 से तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता सावित्री देवी, ग्राम पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया द्वारा जुलाई, 08 में किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं किया गया, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 150/अनु0आ0, दिनांक 28.03.2009 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया

समाहर्त्ता
खगड़िया